विहंगावलोकन

मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में वित्तीय संव्यवहारों की लेखापरीक्षा से उद्भूत चार निष्पादन लेखापरीक्षा और 11 कंडिकाएं सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

1. निष्पादन लेखापरीक्षाएं

1.1 टाईगर रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की कार्यप्रणाली

वन्य प्राणी (संरक्षण) कानून, 1972 राज्य शासन को, वन्य प्राणी व इनके परिवेश के पर्याप्त महत्ता वाले क्षेत्र को, इसकी सुरक्षा, विस्तार व विकास के लिए अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान (एन.पी.) या टाईगर रिज़र्व (टी.आर.) घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। नवम्बर 2014 तक, मध्य प्रदेश शासन ने 16,370.288 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले हुए छह टाईगर रिज़र्व, चार राष्ट्रीय उद्यान और 19 वन्य प्राणी अभ्यारण्यों (डब्ल्यू.एल.एस.) को अधिसूचित किया (मई 1955 से अगस्त 2012), जो मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का 17.29 प्रतिशत है। विभाग की कार्यप्रणाली की एक समीक्षा ने निम्नलिखित कमियों को प्रकट किया:

- वन्य प्राणी और इसके परिवेश को संरक्षित एवं सुरक्षित करने हेतु आयोजना अपर्याप्त थी क्योंकि बाघ संरक्षण आयोजनाएं/ प्रबंधन आयोजनाएं तैयार नहीं की गईं थीं। बफर क्षेत्र को समाविष्ट करने में विलम्ब थे। सीहोर में नया रातापानी टाईगर रिज़र्व, खण्डवा में एक राष्ट्रीय उद्यान और दो अभ्यारण्य शासन द्वारा अधिसूचित नहीं किए गए और वन्य प्राणी कॉरीडोर को संरक्षित अभ्यारण्य घोषित नहीं किया गया, जिसने वन्य प्राणी संरक्षण के प्रयासों को प्रभावित किया।

(कंडिका 2.1.7.1 से 2.1.7.3)

- वर्ष 2006 की तुलना में, 2010 में बाघों की संख्या स्थिर थी। दो अभ्यारण्यों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चीतलों, भालुओं और जंगली कुत्तों की संख्या में कमी आई। बारहसिंगा का प्रस्तावित विस्थापन नहीं किया जा सका और काले हिरणों के विस्थापन में कार्यकुशलता की कमी अधिक मृत्यु में परिणामित हुई। व्यावसायिक गतिविधियों, मुख्य क्षेत्र में आवासीय अधोसंरचनाओं ने वन्य प्राणी व इनके परिवेश को प्रभावित किया।

(कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.4)

- वन्य प्राणियों की सुरक्षा पर्याप्त रूप से सुनिश्चित नहीं की गई, क्योंकि संरक्षित क्षेत्रों से होकर जाने वाली विद्युत लाइनों का रोधण नहीं किया गया, पशु-चिकित्सा ढाँचा उपलब्ध नहीं था और वायरलैस सेट एवं अन्य निगरानी उपकरण बेकार पड़े थे। वन्य प्राणी अपराधों हेतु ऑनलाइन निगरानी प्रणाली में कमी थी। निर्धारित बीट निरीक्षण नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.1.9.1 से 2.1.9.5)

- ईको-विकास समितियों के माध्यम से ईको-विकास को सुनिश्चित नहीं किया गया था। जैविक-दबाव को कम नहीं किया जा सका क्योंकि पौधारोपण से जलाऊ लकड़ी

का उत्पादन नहीं किया जा सका एवं ग्रामीणों के लिए निस्तार (बिक्री-डिपो) सुविधा स्थापित नहीं की गई थी।

(कंडिका 2.1.10.1 से 2.1.10.2)

1.2 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्राक्कलन

राज्य में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, रूपांकन, सर्वेक्षण, निर्माण और रख-रखाव की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग के पास है। परियोजना के सही समय पर एवं संस्वीकृत लागत के भीतर पूरा होने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के अचूक तथा यथार्थ प्राक्कलन को तैयार करना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में, जल संसाधन के विभागीय (ज.स.वि.) स्त्रोतों द्वारा वृहद, मध्यम और लघु परियोजनाओं के माध्यम से मार्च 2014 तक कुल सिंचाई क्षमता 31.89 लाख हेक्टेयर (हे.) सृजित की गई थी। मध्य प्रदेश में 4,781 पूर्ण (13 वृहद, 110 मध्यम और 4,658 लघु) और 774 प्रगतिरत (09 वृहद, 31 मध्यम और 734 लघु) सिंचाई परियोजनाएं हैं। विभाग ने 31 मार्च 2014 तक 31 प्रगतिरत मध्यम परियोजनाओं पर ₹ 3,250.44 करोड़ व्यय किए।

चयनित प्रगतिरत मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्राक्कलनों को तैयार करने पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियों को प्रकट किया:

- नमूना जांच की गई सभी परियोजनाओं में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डी.पी.आर.) को अनुपयुक्त सर्वेक्षण तथा अनुसंधान के साथ या इसके बिना तैयार किया गया था। अनिवार्य विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान को संचालित करना सुनिश्चित किए बिना अपर्याप्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर शासन द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था और विभागीय प्राधिकारियों द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(कंडिका 2.2.1)

- विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान के बाद अभिलिखित लेवल वाली लेवल बुक, भू-वैज्ञानिक अनुसंधानों और सामग्री सर्वेक्षण के प्रतिवेदन, जो प्राक्कलनों को तैयार करने का आधार होते हैं, संभागों के पास उपलब्ध नहीं थे। कार्यान्वयन के दौरान कार्यों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि (19.54 प्रतिशत से 486.54 प्रतिशत) उचित सर्वेक्षण और अनुसंधान को संचालित किए जाने के बारे में संदेह उत्पन्न करती है।

(कंडिका 2.2.6.1)

- निविदाएं आमंत्रित करने से पहले या तो तकनीकी स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं की गईं या कार्यों को अनुपयुक्त/ अपर्याप्त सर्वेक्षण के आधार पर सौंप दिया गया था। बाद में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान रूपांकनो, स्थान, कार्यों की मदों की मात्रा इत्यादि में बाद के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप लागत में ₹ 52.36 करोड़ की वृद्धि हुई।

(कंडिका 2.2.6.2)

- कड़ी चट्टान व मिट्टी हेतु लीड एवं चिपकने न फूलने वाली मिट्टी हेतु अतिरिक्त लीड के गलत प्रावधान के परिणामस्वरूप सात परियाजनाओं के प्राक्कलनों में वृद्धि हुई।

(कंडिकाएं 2.2.7.1 एवं 2.2.7.2)

- प्राक्कलनों को तैयार करने के दौरान, सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग के कार्य में चिपकने न फूलने वाली मिट्टी को, इसकी आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य जाँच किए बिना, प्रावधानित किया गया था। दरों की एकीकृत अनुसूची एवं सिंचाई विशिष्टियों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनावश्यक या अस्वीकार्य मात्राएं एवं मदें सम्मिलित की गईं थीं तथा फिल्टर में उपयोग के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध गिट्टी पर विचार नहीं किया गया था।

(कंडिकाएं 2.2.7.3, 2.2.7.5 एवं 2.2.7.6)

1.3 मध्य प्रदेश में सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव

लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.), मध्य प्रदेश शासन, आयोजना, रूपांकन एवं सड़कों और शासकीय भवनों के निर्माण में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, राज्य बजट के माध्यम से वार्षिक मरम्मत की योजना के अंतर्गत सड़कों की मरम्मत के लिए प्राप्त निधियों का उपयोग करते हुए सड़कों का निर्माण, सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव भी लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाते हैं। विभाग ने 2013-14 तक राज्य में 19,574 कि.मी. मुख्य जिला सड़कों, 7,044 कि.मी. अन्य जिला सड़कों और 17,045 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है। 2009-10 से 2013-14 के वर्षों के दौरान, विभाग ने राज्य में सड़कों की वार्षिक मरम्मत एवं नवीनीकरण पर ₹ 2,697.21 करोड़ का व्यय किया। विभाग द्वारा मरम्मत और रख-रखाव की एक समीक्षा में निम्नलिखित कमियां प्रकट हुईं:

- संभागों में नवीनीकरण चक्र और नवीनीकरण आरेखों के विवरण संधारित नहीं किए गए जिससे सड़कों के समयबद्ध नवीनीकरण पर निगरानी रखी जा सके। गारंटी अवधि के अंतर्गत आच्छादित कार्यों एवं अन्य संगठनों को हस्तांतरित कार्य भी नवीनीकरण हेतु विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए थे।

(कंडिका 2.3.7.1)

- अधिक महंगी विशिष्टियां अपनाने के परिणामस्वरूप 200 सड़कों के नवीनीकरण के लिए ₹ 29.77 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 2.3.8.1)

- संभागों ने 107 कार्यों के संबंध में ठेकेदारों को ₹ 30.96 करोड़ का भुगतान किया जिनमें पैक्ड बिटुमिन की आवश्यकता थी परन्तु उनमें या तो बल्क बिटुमिन का वास्तव में प्रयोग किया गया या पैक्ड बिटुमिन के उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया गया। संभागों ने बिटुमिनस कार्यों हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों के मूल प्रमाणकों का आवश्यक सत्यापन किए बिना ₹ 105.26 करोड़ का भुगतान कर दिया।

(कंडिका 2.3.8.2)

- 19 सड़क कार्यों में, बिटुमिन का उपयोग निर्धारित खपत मानदंडों की तुलना में कम था और सड़कों पर ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट एवं बिटुमिनस मेकेडम के कार्यान्वयन के पश्चात् सील कोट नहीं कराया गया, जिससे गुणवत्ता प्रभावित हुई।

(कंडिकाएं 2.3.8.3 एवं 2.3.8.4)

- बिटुमिन, रेत, गिट्टी, मुरम इत्यादि की प्राप्ति एवं निर्गम को दर्शाने वाले लेखाकरण और माप पुस्तिकाओं के संदर्भ लेखापरीक्षा को नहीं दिखाए गए, इससे पर्याप्त अभिलेखों का संधारण न होना एवं कार्यों की अनुपयुक्त माप होना इंगित हुआ।

(कंडिका 2.3.8.9)

- सड़क निर्माण कार्य तीन या अधिक भागों में विभाजित किए गए थे एवं अलग अलग सौंपे गए थे एवं इस प्रकार उच्च अधिकारियों द्वारा निविदाओं की स्वीकृति के लिए अनुमोदन की आवश्यकता को टाला गया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन से बचा गया था।

(कंडिका 2.3.9.1)

- सड़क कार्यों के संबंध में, तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति और मोटर ग्रेडर का उपयोग होने के साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं कराए जा सके। सड़कों के सरफेस कोर्स की सुदृढ़ता को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक जॉब मिक्स फॉर्मूला अभिलेखों में नहीं पाए गए।

(कंडिका 2.3.9.2 से 2.3.9.4)

- कार्यान्वयन/ पूर्णता में ऐसे विलम्ब थे जो ठेकेदारों पर आरोपणीय थे। किंतु ₹ 1.32 करोड़ की निर्धारित क्षतिपूर्ति को या तो आरोपित नहीं किया गया या कम आरोपित किया गया था।

(कंडिका 2.3.9.5)

1.4 मध्य प्रदेश में पशुपालकों को पशुओं का वितरण

पशुपालन विभाग के उद्देश्य मानव उपयोग हेतु पौष्टिक पशु प्रोटीन उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण जनता को पशुधन उत्पादों जैसे दूध, अंडा, मांस के विक्रय के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना एवं नस्ल सुधार हैं। 2009-14 के दौरान, विभाग ने ग्रामीणों को पशु वितरण की छह बड़ी योजनाओं (नन्दीशाला, समुन्नत, डेयरी इकाईयों, बकरा, बकरी इकाई का वितरण और सघन बकरी संवर्धन योजना) के क्रियान्वयन पर ₹ 86.88 करोड़ का व्यय किया। योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआः

- कृषकों की आवश्यकता और क्षमता के पात्रता मापदण्ड, जैसा कि योजनाओं के दिशा निर्देशों में निर्धारित था, को सुनिश्चित किए बिना हितग्राहियों का चयन किया गया। पांच योजनाओं के अंतर्गत (बकरी इकाई योजना को छोड़कर) ऐसे किसानों का भी चयन कर लिया गया, जो पात्रता मापदण्ड को पूरा नहीं करते थे। डेयरी इकाई और बकरी इकाई योजना के 7,844 हितग्राहियों के आवेदन लेखापरीक्षा सत्यापन हेतु जिलों के अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थे। बकरा योजना के अंतर्गत, 3,926 हितग्राहियों से चार जिलों के अधिकारियों द्वारा पात्रता मापदण्ड विवरण प्राप्त नहीं किए गए थे। इस प्रकार, क्रियान्वयन दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर योजना की निधियां उपयोग की गई थीं।

(कंडिका 2.4.6.1 से 2.4.6.6 तक की उप कंडिकाएं (अ))

- पांच चयनित योजनाओं के अंतर्गत (सघन बकरी संवर्धन योजना को छोड़कर), चयनित कृषकों की बड़ी संख्या (4,672) को पशु प्रदाय नहीं किए गए, यद्यपि उनके

लिए ₹ 6.53 करोड़ का अनुदान जारी किया गया था और राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में अनुपयोगी पड़ी रही। इनमें से, 456 हितग्राहियों ने अपने बैंक खातों से अनुदान को आहरित कर लिया, किन्तु पशुओं का क्रय नहीं किया था।

(कंडिकाएं 2.4.6.1(ब), 2.4.6.2(स), 2.4.6.3(ब), 2.4.6.4(ब) एवं 2.4.6.5(ब))

- विभाग के पास वितरित किए गए पशुओं के आस्तित्व एवं प्रजनन अवधि में हुई मृत्यु की स्थिति में, इनके प्रतिस्थापन के सत्यापन करने के लिए कोई तंत्र नहीं था जैसा कि अनुबंधों की शर्तों में आवश्यक था। तीन योजनाओं (नन्दीशाला, समुन्नत और बकरा योजना) में पशुओं की मृत्यु के दृष्टांत थे, लेकिन कोई प्रतिस्थापन नहीं किया गया।

(कंडिकाएं 2.4.6.1 (स), 2.4.6.2 (द) एवं 2.4.6.4 (द))

- नस्ल सुधार हेतु नन्दीशाला योजना और समुन्नत योजना के अंतर्गत बछड़ों के जन्म में गिरावट आई। 2009-14 की अवधि के दौरान, निर्धारित मानदंडों के आधार पर बछड़ों के जन्म के लक्ष्य (गायः 4,65,024 और भैंसः 3,76,608) के विरूद्ध नन्दीशाला के अंतर्गत वास्तव में 1,55,935 (34 प्रतिशत) और समुन्नत के अंतर्गत 1,20,298 (32 प्रतिशत) बछड़ों का जन्म हुआ था। इस प्रकार, स्थानीय पशुओं की नस्ल सुधार का लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया।

(कंडिकाएं 2.4.6.1(द), 2.4.6.2 (ई))

- योजनाओं के परिवीक्षण में कमी थी क्योंकि समान योजना में समान हितग्राहियों को बहुविध लाभ पहुँचाए गए और चयनित हितग्राहियों को पशुओं का वास्तविक वितरण सुनिश्चित किए बिना भौतिक व वित्तीय उपलब्धियाँ 100 प्रतिशत प्रतिवेदित की गई।

(कंडिकाएं 2.4.7.1 और 2.4.7.2)

2. लेन-देनों की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बहुत-सी उल्लेखनीय कमियों को भी इंगित किया है जो शासकीय विभागों/ संगठनों की सुचारू कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालती हैं। इन्हें मुख्य रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत एवं समूहबद्ध किया गया हैः

- नियमों, आदेशों इत्यादि का अनुपालन न किया जाना
- औचित्य के बिना व्यय
- सतत् एवं व्यापक अनियमितताएं
- असावधानी/ नियंत्रण में विफलता

2.1 नियमों का अनुपालन न किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन तथा वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय, वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोग तथा धोखाधड़ी पर रोक लगाता है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सहायता करता है। इस प्रतिवेदन में ₹ 3.60 करोड़ के ऐसे उदाहरण दिये गये हैं जिनमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। कतिपय महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैः

- लोक निर्माण संभाग, राजगढ़ द्वारा प्रेषणों और धनादेश आहरणों का कोषालय अभिलेखों से मिलान न करने के कारण ₹ 9.50 लाख के गबन का पता नहीं चल पाया।

(कंडिका 3.1.1)

- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, खरगोन ने संविदा की शर्त की गलत व्याख्या कर कंसल्टेंसी प्रभारों के मूल्य वृद्धि की गलत गणना की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 59.07 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.1.2)

- लोक निर्माण, जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभागों में कर्मकार कल्याण बोर्ड को कर्मकार कल्याण उपकर के ₹ 8.10 करोड़ को नियमों का उल्लघंन करते हुए विलंब से जमा करने से शासन पर ₹ 2.91 करोड़ के ब्याज की देयता निर्मित हुई।

(कंडिका 3.1.3)

2.2 औचित्य के बिना व्यय

लोक निधियों से व्यय का प्राधिकार लोक व्यय के औचित्य तथा दक्षता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। व्यय करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों से वहीं सतर्कता बरतने करने की आशा की जाती है जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के संबंध में बरतता है और उसे प्रत्येक कदम पर वित्तीय व्यवस्था तथा पूर्ण मितव्ययिता बरतनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने ₹ 14.97 करोड़ के अनौचित्य, अतिरिक्त एवं निष्फल व्यय के दृष्टांतों को देखा, जिसकी नीचे चर्चा की गई हैः

- नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मंडलेश्वर, खरगोन में कार्य पूर्ण करने के लिए अविवेकपूर्ण ढंग से समयवृद्वि प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.29 करोड़ की राशि की मूल्य वृद्धि का अदेय भुगतान हुआ, इसके अतिरिक्त ठेकेदार पर आरोपणीय विलंब के लिए शास्ति का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 3.2.1)

- चार जल संसाधन संभागों के कार्यपालन यंत्रियों द्वारा नहर लाइनिंग कार्य में सीमेंट कांक्रीट (सी.सी.) के गलत प्रावधान अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.01 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 3.2.2)

- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने दरों की अनुसूची में "सड़क मार्गों के लिए कड़ी चट्टान में खुदाई-ब्लास्टिंग प्रतिबंधित " मद हेतु अविवेकपूर्ण ढंग से उच्च दरें निर्धारित कीं। लोक निर्माण संभाग (भवन/ सड़क) दमोह द्वारा दरों को अपनाने के परिणामस्वरूप एक सड़क कार्य में ₹ 50.75 लाख की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 3.2.3)

- सड़क कार्य का कार्यान्वयन कर रहे एक ठेकेदार को, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग (रा.रा.) संभाग, भोपाल द्वारा मूल्य वृद्धि के ₹ 75.26 लाख का भुगतान किया गया, यद्यपि यह अनुबंध में शामिल नहीं था क्योंकि कार्य के पूरा होने की अवधि 12 माह से कम थी।

(कंडिका 3.2.4)

- यूको बैंक के भवनों के निक्षेप कार्य हेतु, लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) ने गैर-शासकीय कार्यों हेतु निर्धारित सात प्रतिशत की दर के स्थान पर तीन प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभार लगाया। मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों के उल्लघंन के परिणामस्वरूप ₹ 41.26 लाख का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.2.5)

2.3 सतत एवं व्यापक अनियमितताएं

एक अनियमितताएं तब सतत समझी जाती है यदि यह वर्ष दर वर्ष प्रकट होती हो और जब यह संपूर्ण प्रणाली में प्रचलित हो जाती है, तो यह व्यापक हो जाती है। पूर्व की लेखापरीक्षाओं में इंगित करते रहने के बावजूद अनियतिताओं की पुनरावृत्ति न केवल कार्यपालकों के गंभीर न होने के सूचक है अपितु यह प्रभावी परिवीक्षण के अभाव का भी सूचक है। क्रमागत रूप से यह नियमों/ विनियमों के अनुपालन से जान बूझकर किए गए विचलनों को बढ़ावा देता है एवं प्रशासनिक संरचना की कमजोरी में परिणामित होता है। ₹ 5.63 करोड़ मूल्य की सतत अनियमितताओं के महत्वपूर्ण प्रकरण नीचे दिए गए हैः

- लोक निर्माण विभाग (भवन/ सड़क) संभाग, छिंदवाड़ा में दो सड़क कार्यो में भारतीय सड़क कांग्रेस की विशिष्टियों के प्रावधानों से तुलना में अवांछित महंगी विशिष्टियों का प्रावधान किया गया। परिणामस्वरूप कार्यों के कार्यान्वयन में ₹ 2.45 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 3.3.1)

- दो जल संसाधन संभागों के कार्यपालन यंत्रियों द्वारा मदों की असंतुलित दर हेतु अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कटौती न किए जाने से ठेकेदारों को ₹ 3.18 करोड़ के अदेय वित्तीय लाभ पहुँचाए गए, साथ ही साथ, उस सीमा तक शासकीय धन की हानि हुई।

(कंडिका 3.3.2)

2.4 असावधानी/ नियंत्रण में विफलता

सरकार का एक दायित्व है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना का विकास तथा उन्नयन एवं लोक सेवा के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के माध्यम से वह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करें। तथापि, लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए हैं जिनमें समाज के लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन हेतु सरकार द्वारा दी गई निधियां विभिन्न स्तरों पर अनिर्णयात्मकता, प्रशासनिक असावधानी तथा संगठित कार्रवाई के अभाव के कारण अप्रयुक्त/ अवरूद्ध रही और/ अथवा निष्फल/ अनुत्पादक सिद्ध हुई। राशि ₹ 1.97 करोड़ के प्रकरण की नीचे चर्चा की गई हैः

- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन ने कार्य को पूर्ण करने में विलंब के लिए ₹ 1.97 करोड़ की क्षतिपूर्ति की राशि को आरोपित नहीं किया एवं ठेकेदार से वसूल नहीं की यद्यपि कार्यान्वयन में विलंब ठेकेदार पर आरोपणीय था।

(कंडिका 3.4.1)